न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– **गजेन्द्र सिंह आर.टी.एस.**

सरकार

बनाम

श्री गोपाल , रोहीताश, पुत्रगण श्री मुखाराम व बंशीधर पुत्र श्री हरनाथ जाति गुर्जर नि–झडायानगर तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू, राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णयः–

प्रकरण संख्याः– 06 / 21 दिनांक 20.07.2022

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का पंचलंगी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 में मौजा ग्राम झडायानगर पटवार हल्का पचलंगी के हाल भूमि खसरा नम्बर 3479 कुल रकबा 0.51 है. किस्म बंजड में से 1115 वर्ग मी.. सरकारी भूमि पर श्री गोपाल , रोहीताश, पुत्रगण श्री मुखाराम व बंशीधर पुत्र श्री हरनाथ जाति गुर्जर नि–झडायानगर ने अनाधिकृत रुप से मकान ,चारदिवारी व टीन शेड लगाकर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अतिक्रमी को नोटिस प्राप्त होने पर न्यायालय में उपस्थित हुआ और जवाब पेश किया कि प्रार्थी ने उक्त भूमि को बडी मेहनत से अपनी खेती बाडी करने लायक बनाया है किसी तरह का अवैध कब्जा नही किया है उक्त भूमि पर प्रार्थी का पूर्व से ही रहवास रहा है अतः नियमन कर पट्टा जारी किये जाने का श्रम करावे प्रार्थी को दिया गया नोटिस खारिज फरमावे।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों व पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया कब्जा अवैद्य है जो नियमन कि तारीख में नही आता है चूंकि अतिक्रमी ने अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य सबूत इत्यादि पेश नही किये है जिससे अतिक्रमी का लगातार कब्जा साबित होता है अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा जेर बहस रिपोर्ट पटवारी हल्का से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम झडायानगर पटवार हल्का पचलंगी के हाल भूमि खसरा नम्बर 3479 कुल रकबा 0.51 है. किस्म बंजड में से 1115 वर्ग मीटर सरकारी भूमि श्री गोपाल , रोहीताश, पुत्रगण श्री मुखाराम व बंशीधर पुत्र श्री हरनाथ जाति गुर्जर नि–झडायानगर को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 50 / – रुपये (अक्षरे रू. पचास मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक पापडा कला को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 20.07.2022** को खुले इजलास सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह)
तहसीलदार उदयपुरवाटी

तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)